क्र० सं०–241

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 28 सितम्बर, 2011
आश्विन 6, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
राजस्व अनुभाग–5

संख्या–2877 / 1–5–2011–153 / 2011–रा0–5

लखनऊ, 28 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

प0आ0–516

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू0पी0 अधिनियम संख्या–3 सन् 1901) की धारा 11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी पूर्व सरकारी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पंचशील नगर नामक एक नया जिला सृजित करते हैं, जिसमें जिला गाजियाबाद की वर्तमान तहसील हापुड़ एवं गढ़मुक्तेश्वर के समस्त क्षेत्र समाविष्ट होंगे, जिसका मुख्यालय हापुड़ होगा और उक्त दिनांक से वर्तमान जिला गाजियाबाद की सीमाओं को इस प्रकार परिवर्तित करते हैं जिससे कि नवसृजित जिला पंचशील नगर में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर शेष वर्तमान क्षेत्र उसमें समाविष्ट होंगे।

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,
के0 के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2877/1-5-2011-153/2011-Rev.-5, dated September 28, 2011 for general information:

No. 2877/1-5-2011-153/2011-Rev.-5

Dated Lucknow, September 28, 2011

IN exercise of the powers under section 11 of the U.P. Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act no. III of 1901) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. I of 1904) and in partial modification of earlier notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to create with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, a new district by the name of Panchsheel Nagar comprising the entire areas included in the existing tahsils Hapur and Garhmukteshwar, with its headquarters at Hapur and to alter with effect from the said date, the limits of existing district of Ghaziabad so as to comprise the existing areas except those included in the newly created district of Panchsheel Nagar.

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

By order,

K. K. SINHA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 412 राजपत्र–(हिन्दी)–2011–(1017)–599–(कम्प्युटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 8 सा0 राजस्व–2011–(1018)–590–(कम्प्युटर / टी / आफसेट)।